“पोलिथीन प्रबन्धन हेतु सार्वजनिक सूचना”

जन साधारण को सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा –कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत प्लास्टिक कैरी बैग (समस्त आकार और मोटाई) तथा एक बार में उपयोग में लाई जाने वाली प्लास्टिक की अन्य निवर्तीय **(Disposable)** वस्तुएं जैसे कि प्लास्टिक कप, गिलास व प्लेट्स पर 15 अगस्त, 2009 से पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त् नियमों के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी निजी अथवा वाणिज्यिक स्थापनों के परिसरों आदि पर प्लास्टिक कचरे के बिखराव **(Littering)** करने पर 1000/–रूपया जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही साथ उपरोक्त् नियमों के अन्तर्गत किसी भी संस्थान/वाणिज्यिक स्थापन द्वारा परिसरों के भीतर तथा समस्त सार्वजनिक स्थानों आदि पर प्लास्टिक कचरे के बिखराव **(Littering)** करने पर 5000/–रूपया जुर्माने का प्रावधान है।

इस अधिसूूचना के द्वारा सरकार ने केवल प्लास्टिक कैरी बैग और एक बार में उपयोग में लाई जाने वाली प्लास्टिक की अन्य निवर्तीय **(Disposable)** वस्तुएं जैसे कि प्लास्टिक कप, गिलास व प्लेट्स पर ही पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है न कि पोलिथीन के पैकेजिंग के प्रयोग पर।

उपरोक्त् प्रावधान के साथ–साथ इस समस्या का सम्पूर्ण समाधान तभी सम्भव है जब हम सभी अपने–अपने पर्यावरण दायित्वों का निर्वाह पूरी निष्ठा के साथ करें।

इस अधिसूचना से सम्बन्धित सूचना /स्पष्टीकरण हेतु पर्यावरण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के कार्यालय में एक हैल्पलाईन खोली है एवं बोर्ड की एक वरिष्ठ अधिकारी डा0 मधु बाला सोनी को अधिकृत किया है जिनका दूरभाष नम्बर 0177–2673274 व मोबाईल नम्बर 94184–75100 है। सर्वसाधारण अपने स्पष्टीकरण उपरोक्त अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस पर हासिल कर सकते हैं।

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

एवं

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् हि0 प्र0 के सौजन्य से जनहित मे जारी